

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2025/60

दिनांक 07/03/25

—: आदेश:—

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित निम्न चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मैट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती हैं:—

S.No.	Name of Doctor's	Date of Birth	Date of First Appointment	Date of Probation Complete	Date of Regular Pay Scale
1	SANGEETA KANWAT	24.05.1997	27.03.2023	01.05.2024 (36 EOL)	02.05.2024
2	SHRAVIKA HINGONIA	24.01.1996	02.09.2022	01.09.2023	02.09.2023

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2025/60

दिनांक 07/03/25

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित चिकित्सक की पत्रावली में नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <directorph-r@nic.in>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Director
Date :07-03-2025 09:42:08